परिशिष्ट–एक, ''परीक्षा योजना''

(1) यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगीः–

(i) **राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण (परीक्षा)** जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण (साक्षात्कार) हेतु उम्मीदवारों का अर्हता निर्धारण किया जाएगा।

(ii) **द्वितीय चरण (साक्षात्कार)**–

परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन अग्रमान्यता के आधार पर किया जाएगा।

(2) (i) **प्रथम चरण (परीक्षा)** में वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के दो प्रश्नपत्र होंगे,

प्रथम प्रश्न पत्रः– इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमता परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

द्वितीय प्रश्न पत्रः– सिविल/यांत्रिक/विद्युत से संबंधित होंगे, जिनमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी।

(ii) प्रथम चरण (परीक्षा) के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(iii) ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है।

(3) **परीक्षाः**–

(i) प्रथम चरण (परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगेः–

प्रश्न पत्र–I सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या 150 **2:30 घंटे** **अंक 300**

प्रश्न पत्र–II अभियांत्रिकी (सिविल/यांत्रिक/विद्युत)

प्रश्नों की संख्या 150 **2:30 घंटे** **अंक 300**

(ii) प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा।

(iii) परीक्षा के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 30 प्रतिशत होंगे।

(4) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई संबंधित अभियांत्रिकी विषय के रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जायेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(5) **साक्षात्कारः**– साक्षात्कार के लिये **75 अंक** होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)।

□□□□□